सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/332** दायर दिनांक **05.12.2017**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. गोमाराम पुत्र श्री जवानाराम 2. रामचन्द्र पुत्र श्री चेलाराम जाति जाट निवासी रूघनाथपुरा तह. डीडवाना।	बनाम्	1. हनुमानाराम पुत्र श्री अरजाराम 2. मूलकी बैवा छोगाराम समस्त जाति जाट निवासीगण रूघनाथपुरा तह. डीडवाना। 3. तहसीलदार एवम उप पंजीयक डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री जयप्रकाश अधिवक्ता वादीगण
2. श्री विक्रम कुडी अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01 की और से।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **11.12.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, विवादित कि वादीगण व प्रतिवादीगण सख्यां 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक जायगा खेत खसरा न. 413 रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद रूघनाथपुरा में अवस्थित है। जिनकी नकल खतौनी वाद के साथ पेश है।

उपरोक्त खेत खसरा न. 413 रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 का मौके पर अलग अलग 1/4 हिस्सा व बंट पर काबिज काश्त हो रखे है तथा इसी अनुरूप अपने अपने 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त व उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। लेकिन वादीगण के बंट व कब्जे में आई 1/4 . 1/4 हिस्से भूमि का गलती से उक्त खसरा न. में नाम दर्ज नही हो सका ।

उक्त खसरा न. की भुमि में वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अकनं नही हुआ अब वादीगण अपने उक्त पैतृक खेत की खातेदारी में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है।

खसरा न. 413 रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद रूघनाथपुरा वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है। तथा उक्त गलत खातेदारी को दुरूस्त कर उक्त भूमि में वादीगण का नाम भी दर्ज करने एवम वादीगण का हक हिस्सा घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश सादर फरमावें।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017/332
दायर दिनांक 05.12.2017, निर्णय दिनांक 11.12.2017
गोमाराम बनाम हनुमानाराम वगैरा।

उक्त वाद राजस्व गलत खातेदारी दर्ज होने के कारण रेकर्ड दुरूस्ती घोषणा खातेदारी व बंटवारा का करना लाजमी आया है।

बिनाया दावा वर्तमान में वादीगण द्वारा अपनी पैतृक जायगा से संबाधित नकले निकलवाने व वादीगण को उसके हक अधिकार से बेदखल किये जाने के कारण बमुकाम रघुनाथपुरा पैदा हुआ जो निरन्तर न्यायालय हाजा में उत्पन्न हो रहा है।

प्रतिवादी सं0 3 रेवन्यू होल्डर है। इसलिए इन्हे उक्त दावें में आवश्यक पक्षकार बनाने से पुर्व धारा 80. सी.पी.सी. का 02 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। मगर उक्त दावा आवश्यक प्रकृति का होने से बगैर नोटिस दिये उनके खिलाफ पेश है। जिसके लिए धारा 80(2)सी.पी.सी. के तहत उनके खिलाफ दावा पेश करने की स्वीकृति प्रदान करावें।

प्रार्थना वादीगणहै कि खसरा न. 413 रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद रूघनाथपुरा वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण के प्रत्येक के नाम से 1/4. 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश सादर प्रदान करावें। स्थायी निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी फरमायी जावें कि जब तक बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा ना होकर वादीगण कानुनी रूप से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी घोषित नहीं हो तब तक प्रतिवादीगण उक्त जायगा को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द बैचाण हस्तान्तरण न तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी एजेन्ट या प्रतिनिधि से करावें।

वादीगण का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 03 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

उपरोक्त अनुवान प्रकरण में वादीगण गोमाराम रामचन्द्र व प्रतिवादीगण हनुमानाराम व मुलकी के मध्य राजीनामा निम्न प्रकार से है।

कि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक जायगा खेत खसरा न. 413 रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद रूघनाथपुरा में अवस्थित है।

कि खेत खसरा न. 413 रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण का मौके पर अलग 1/4. 1/4 हिस्सा व बंट पर काबिज काश्त हो रखे है। तथा इसी अनुरूप अपने अपने 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त है। लेकिन वादीगण के बंट व कब्जे में आई 1/4 व 1/4 हिस्से की भुमि का गलती से उक्त खसरा न. में नाम दर्ज नहीं हो सका तथा प्रस्तुत वाद के अनुसार उक्त खसरा न. की भुमि में वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में 1/4 व 1/4 का खातेदार घोषित किया जावें तो हम प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है।

कि उक्त खसरा न. की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 का 1/4 व 1/4 खातेदार घोषित किया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें जिसमें हम वादीगण व प्रतिवादीगण पुर्ण रूप से सहमत है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि प्रस्तुत वाद में वर्णित खेत खसरा न. 413 रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा भुमि में वादीगण का 1/4 व 1/4 हिस्सा घोषित किया जावें तथा इसी अनुरूप दावा डिक्री किया जावें। जिसके लिए हम पुर्ण रूप से सहमत है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017/332
दायर दिनांक 05.12.2017, निणर्य दिनांक 11.12.2017
गोमाराम बनाम हनुमानाराम वगैरा।

पक्षकारान जरिये राजीनाम दावा डिक्री किये जाने पर सहमत है। वादीगण के वाद को किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डित नहीं किया गया है। अतः जरिये राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री सादिर किया जाता

आदेश

हस्व दावा जरिये राजीनामा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद रघुनाथपुरा के खसरा सं0 413 रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा में वादीगण गोमाराम व रामचन्द्र तथा प्रतिवादीगण सं0 01 व 02 हनुमानाराम व मूलकी प्रत्येक के 1/4, 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **11.12.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: **2017/332** — दायर दिनांक **05.12.2017**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. गोमाराम पुत्र श्री जवानाराम 2. रामचन्द्र पुत्र श्री चेलाराम जाति जाट निवासी रूघनाथपुरा तह. डीडवाना।	बनाम्	1. हनुमानाराम पुत्र श्री अरजाराम 2. मूलकी बैवा छोगाराम समस्त जाति जाट निवासीगण रूघनाथपुरा तह. डीडवाना। 3. तहसीलदार एवम उप पंजीयक डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 11.12.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री जयप्रकाश अधिवक्ता वादीगण व श्री विक्रम कुडी अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01 व 02 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा जरिये राजीनामा डिक्री सादिर कर, सरहद रघुनाथपुरा के खसरा सं0 413 रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा में वादीगण गोमाराम व रामचन्द्र तथा प्रतिवादीगण सं0 01 व 02 हनुमानाराम व मूलकी प्रत्येक के 1/4, 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज........—......... मुबलिंग.............—................ बाबत......................—......................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........—.......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **11.12.2017** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
(सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर))

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर))

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—332—2017 / रीडर / 2017 / 1179 दिनांक 28/12/17

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

वादीगण		**प्रतिवादीगण**
1. गोमाराम पुत्र श्री जवानाराम 2. रामचन्द्र पुत्र श्री चेलाराम जाति जाट निवासी रूघनाथपुरा तह. डीडवाना।	**बनाम्**	1. हनुमानाराम पुत्र श्री अरजाराम 2. मूलकी बैवा छोगाराम समस्त जाति जाट निवासीगण रूघनाथपुरा तह. डीडवाना। 3. तहसीलदार एवम उप पंजीयक डीडवाना।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner